रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II —Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1964] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2014/आश्विन 2, 1936
No.1964] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2014/ASVINA 2, 1936

कृषि मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2014

का.आ. 2486(अ).—कीटनाशकों के विनिर्माताओं को, उन कीटनाशकों के संबंध में, जिनकी अधिकतम अवशिष्ट सीमा नियत नहीं है, परंतु बाजार में प्रयोग के लिए उपलब्ध है, उनकी अधिकतम अवशिष्ट सीमा नियत करने के लिए आंकड़े उत्पन्न करने और प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई थी ;

और, रजिस्ट्रीकरण समिति ने कीटनाशकों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा को नियत करने के विषय में उपलब्ध सूचना के परीक्षण के पश्चात् उन कीटनाशकों के, जिनके लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा नियत नहीं की गई है, पत्रकों और लेबल से फसलों को हटाने की सिफारिश की है, ;

और, केंद्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करके, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित निम्नलिखित कीटनाशकों के, जिनके लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा नियत नहीं की गई है, पत्रकों और लेबल से, नीचे दी गई सूची के स्तंभ (3) में यथावर्णित फसलों को हटाने का विनिश्चय किया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

आदेश

(क) इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, प्रत्येक कीटनाशी के सामने वर्णित की गई फसलों के लिए कीटनाशकों के दावा करने के लेबल को अनुमोदित उपयोग से हटा दिया जाएगा :—

सारणी

क्रम सं.	कीटनाशक का नाम	फसलों का नाम, जिन्हें फसलों के उपयोग की अनुमोदित सूची से हटाया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	2, 4-डाईक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड	चाय
2.	एनिलोफास	सोयाबीन
3.	बिटरटेनाल	सेब, चाय
4.	कारब्राइल	अरहर
5.	कारबोफ्यूरान	कपास, शिमला मिर्च
6.	क्लोरोथेलोनिल	सेब, अंगूर, मिर्च
7.	क्लोरोपाइरीफास	मूंग, सरसो, गन्ना
8.	कापर आक्सीक्लोराइड	जीरा, चाय, धान
9.	साइपरमेंथ्रीन	गन्ना
10.	डेल्टामीथ्रीन (डेकामीथ्रीन)	चना
11.	डाइक्लोरोवोस (डी.डी.वी.पी.)	गन्ना
12.	डाइफिनकोजोल	मूंगफली
13.	डाइफ्लूबिनजोरॉन	मूंगफली
14.	डीमीथोट	अरहर, कपास, मूंगफली
15.	डीनोकेप	सेब, अंगूर, बिन्स, भिंडी, आड़ू, बेर, मटर, पोपी (अफीम), मिर्च, जीरा, मेथी
16.	इंडोसल्फान	ज्वार, मक्का
17.	फिन्ट्रीमाल	मिर्च, मटर
18.	फ्लूसीलाजोल	अंगूर, सेब
19.	मेलाथियान	कपास, मूंगफली, सरसों
20.	मैंकोजेब	चुकन्दर (आलू), अदरक
21.	मिथाइल पाराथीऔन	सोयाबीन, मूंगफली
22.	मोनोक्रीटीफोस	चना, एरंड, सरसों
23.	ऑक्सीडेमेटॉन-मिथाइल	नीबू संतरा आदि (खट्टे नींबू)
24.	पर्मेथ्रिन	भिंडी, फूलगोभी, नीबू संतरा आदि
25.	फेन्योएट	हरा चना, उड़द, कपास, इलायची
26.	फासालोनी	धान, कपास, मूंगफली, इलायची, भिंडी, मिर्च
27.	फासफेमीडान	सरसों
28.	प्रोफीनोफॉस	चाय
29.	प्रोपीकॉनाजोल	केला, काफी
30.	क्वानीलाफॉस	गन्ना, बैंगन, प्याज, आम, काफी, पत्ता गोभी

31.	थायोफिनेट-मिथाइल	गेहूं, ककड़ी समूह, अरहर
32.	ट्राईडीमीफान	काफी, आम, मिर्च, सोयाबीन
33.	ट्राइजोफॉस	बैंगन
34.	ट्राइडीमार्फ	हरी मटर, ग्वार फली, ककड़ी समूह, बेर, चाय, नीबू संतरा आदि
35.	ट्राईफ्लूरेलिन	कपास, सोयाबीन
36.	एरियोफ्यूजिन	धान, अंगूर, जीरा, सेब, आलू
37.	कॉपर सल्फेट	आलू, अंगूर, टमाटर, मिर्च
38.	स्ट्रेप्टोमाइसिन + टेट्रासाइक्लिन	मिर्च, कपास
39.	कॉपर हाइड्रोआक्साइड	चाय, मिर्च, मूंगफली
40.	फ्लयूफिनाक्स्यूरान	पत्ता गोभी
41.	आक्सीफबॉक्सेन	काफी
42.	थायोबिनकॉब (बेन्थियोकार्बा)	चावल

(ख) सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऊपरवर्णित कीटनाशक के संबंध में लेबल/पत्रक के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को कीटनाशकों के दावा करने के लेबल को हटाने के लिए सचिव, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, एन.एच.-IV, फरीदाबाद को इस आदेश के प्रकाशन के छह मास के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसके न किए जाने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

(ग) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में पृष्ठांकन न करने या संशोधन करने पर ऐसे प्रमाण पत्रों के क्रियाशील होने की अनुज्ञा या अनुमोदन को इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं लिया जाएगा।

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत न किए जाने पर रद्द समझा जाएगा।

(ङ) प्रत्येक राज्य सरकार अपने संबद्ध राज्य में ऐसे उपाय करेगी, जो इस आदेश के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए वह आवश्यक समझे।

(च) केंद्रीय सरकार, इस आदेश के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम अवशिष्ट सीमा नियत किए जाने के पश्चात् हटाए गए लेबल के दावों को पुन: प्रवर्तित करने के लिए विचार करेगी।

[फाइल सं. 17-4/1996-पी.पी. I(भाग. III-ई)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2014

S.O. 2486(E).—Whereas, manufacturers of insecticides were advised from time to time to generate and submit data for fixation of Maximum Residue Limits (MRLs) in respect of insecticides whose MRLs are not fixed but are available in the market for use;

And whereas, Registration Committee after examination of information available on the subject of fixation of MRLs of insecticides recommended deletion of crops from the label and leaflets of insecticides for which MRLs have not been fixed;

And whereas, the Central Government, after consultation with the Registration Committee has decided for deletion of crops as mentioned in column (3) of the Table below from the label and leaflets of the following insecticides mentioned in column (2) of the Table below for which MRLs have not been fixed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

ORDER

(A) Label claim of the following insecticides for the crops mentioned against each insecticides shall be deleted from approved use with effect from the date of publication of this Order :—

TABLE

Sl. No.	Name of the insecticide	Names of crops to be deleted from approved usage
(1)	(2)	(3)
1.	2 , 4-Dichlorophenoxy acetic acid	Tea
2.	Anilophos	Soyabean
3.	Bitertanol	Apple, Tea
4.	Carbaryl	Red gram
5.	Carbofuran	Cotton, Sweet pepper
6.	Chlorothalonil	Apple, Grapes, Chilli
7.	Chlorpyriphos	Moong, Mustard, Sugarcane
8.	Copper oxychloride	Cumin, Tea, Paddy
9.	Cypermethrin	Sugarcane
10.	Deltamethrin (Decamethrin)	Chick pea
11.	Dichlorvos (DDVP)	Sugarcane
12.	Difenoconazole	Groundnut
13.	Diflubenzuron	Groundnut
14.	Dimethoate	Redgram, Cotton, Groundnut
15.	Dinocap	Apple, Grapes, Beans, Okra, Peaches, Ber, Pea, Poppy, Chilli, Cumin, Fenugreek
16.	Endosulfan	Sorghum, Maize
17.	Fenarimol	Chilli, Pea
18.	Flusilazole	Grapes, Apple
19.	Malathion	Cotton, Groundnut, Mustard
20.	Mancozeb	Sugarbeat (potato), Ginger
21.	Methyl parathion	Soyabean, groundnut
22.	Monocrotophos	Bengalgram, castor, mustard
23.	Oxydemeton-methyl	Citrus (acid lime)
24.	Permethrin	Okra, Cauliflower, Citrus

25.	Phenthoate	Green gram, Black gram, Cotton, Cardamom
26.	Phosalone	Paddy, cotton, groundnut, cardamom, Bhindi, Chilli
27.	Phosphamidon	Mustard
28.	Profenophos	Tea
29.	Propiconazole	Banana, Coffee
30.	Quinalphos	Sugarcane, brinjal, onion, mango, coffee, cabbage
31.	Thiophanate-methyl	Wheat, Cucurbit, Pigeonpea,
32.	Triadimefon	Coffee, mango, Chilli, Soyabean
33.	Triazophos	Brinjal
34.	Tridemorph	Peas, Cluster bean, Cucurbits, Ber, tea, Citrus
35.	Trifluralin	Cotton, Soybean
36.	Aureofungin	Paddy, Grapes, Cumin, Apple, Potato
37.	Copper Sulphate	Potato, Grapes, Tomato, Chilli
38.	Streptomycin + Tetracycline	Chilli, cotton
39.	Copper hydroxide	Tea, chilli, groundnut
40.	Flufenoxuron	Cabbage
41.	Oxycarboxin	Coffee
42.	Thiobencarb (Benthiocarb)	Rice

(B) All registrants granted certificate of registration in respect of the abovementioned insecticides shall submit their certificate of registration along with label/leaflets for deletion of label claims on the above-mentioned crops to the Secretary, Central Insecticides Board and Registration Committee, NH-IV, Faridabad, within six months from the date of publication of this Order, failing which action to revoke licenses under section 14 of the Insecticides Act, 1968 shall be initiated.

(C) Non-endorsement or correction in the certificate of registration will not to be taken as permission or approval to operate upon such certificates of registration in contravention of the provisions of this Order.

(D) Certificate of registration not submitted by the due date shall be deemed to have been cancelled.

(E) Every State Government shall take such steps in their respective States as they may deem fit for carrying out the provisions of this Order.

(F) The Central Government shall consider revival of such label claims as deleted pursuant to this Order after fixation of MRLs by competent authority of Food Safety and Standards Authority of India. .

[F. No.17-4/1996-PP.I (Vol. III-E)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

3842GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.